न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—59 सन् 2021

योगेन्द्र राय वगैरह.....................................वादीगण।

बनाम

राजेश्वर राय वगैरह..................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 02.08.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 07 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 12.05.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि तकरारी एराजी में अपना हिस्सा 1/8 का तख्ता अलग कायम कराने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी इस वाद में उपस्थित हो गए हैं। मुकदमे की कार्यवाही के दरम्यान प्रतिवादी एक जुट होकर भूमि के स्वरूप को बदलने पर अमादे हैं। प्रतिवादीगण भूमि के स्वरूप बदलने हेतु निर्माण सामग्री ईट, बालू, सिमेंट आदि एकत्रित कर चुके हैं वो जबरदस्ती निर्माण कार्य करने को प्रयासरत हो गए हैं। न्यायहित में तकरारी एराजी का स्थल जांच प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष आना जरूरी है। अतः निवेदन है कि किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 26.05. 2022 को दाखिल कर कथन है कि जिस बयान के साथ वादी ने आवेदन दाखिल किया है वह स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी ने तकरारी एराजी पर निमार्ण सामग्री रखा हुआ है या नहीं या किसी प्रकार का निमार्ण कार्य हो रहा है या नहीं उसके संदर्भ में प्रतिवेदन चाहते हैं। वादी के वादपत्र के पाराग्राफ 25 वो 26 मेवादी ने भी स्वीकार किया है कि हिस्सेदारी का तकरारी भूमि में अवासीय मकान है। वस्तुतः वादी अपने वादपत्र की लेकुना फुलफील करने हेतु तथा साक्ष्य इकट्ठा करने के ख्याल से सोची समझी राजनीति के तहत उक्त आवेदन दिया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 12.05.2022 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन

में कथन है कि मुकदमे की कार्यवाही के दरम्यान प्रतिवादी एक जुट होकर भूमि के स्वरूप को बदलने पर अमादे हैं। प्रतिवादीगण भूमि के स्वरूप बदलने हेतु निर्माण सामग्री ईट, बालू, सिमेंट आदि एकत्रित कर चुके हैं वो जबरदस्ती निर्माण कार्य करने को प्रयासरत हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 12.05.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री अवधेश सिंह को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।